

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/1602
प्रति,

धमतरी, दिनांक 24/07/2023

मुख्य वन संरक्षक,
रायपुर वृत्त, रायपुर

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli- Road i/c culvert and bridge work. Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km. length. Forest land diversion. हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. पंजीयन बाबत।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022

- संदर्भ :-** 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/956 दिनांक 11.05.2023
2. आपका पत्र क्रं./तक शा./सड़क/6565 दिनांक 15.06.2023 एवं पत्र क्रं./तक शा./सड़क/7478 दिनांक 11.07.2023
3. वनमण्डलाधिकारी महासमुन्द वनमण्डल महासमुन्द का पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/ 3826 दिनांक 18.07.2023
4. आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का पत्र क्रमांक/3478/शिल्प-23/ वन विभाग दिनांक 19.07.2023
5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/948 दिनांक 11.05.2023

⊗ ⊗ ⊗

विषयांतर्गत धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Road/151953/2022 रकबा 37.973 हे. के प्रकरण को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आपकी ओर 05 प्रतियों में अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया था। जिसमें आपके संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से प्रस्ताव में दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों, वृक्ष विदोहन योजना, वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रस्ताव एवं डी. जी.पी.एस. सर्वे के मानचित्र पूर्ण नहीं होने के संबंध में आपत्ति ली गई है।

उपरोक्तानुसार ली गई आपत्ति की पूर्ति हेतु वनमण्डलाधिकारी महासमुन्द द्वारा संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 की दर से वृक्षारोपण योजना तथा आवेदक संस्थान के संदर्भित पत्र 4 के माध्यम से कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को पुनः प्रस्तुत किया गया है। आपके संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से प्रस्ताव में ली गई आपत्तियों की पूर्ति निम्नानुसार है :-

क्रं.	ली गई आपत्ति	आपत्तियों की पूर्ति
1	दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों	प्रस्ताव में सभी जगह दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की जानकारी को सुधार कर एक समान किया गया है।
2	वृक्ष विदोहन योजना	प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 12 में वृक्ष विदोहन विवरण पत्रक Form 1(a) एवं 1 (b) को सुधार कर संलग्न किया गया है। साथ ही प्रकरण में प्रभावित वृक्षों का कक्षवार/प्रजातिवार जानकारी प्रस्ताव के पृष्ठ 46(A) में संलग्न किया गया है।
3	वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव	वनमण्डलाधिकारी महासमुन्द द्वारा संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 अनुसार रु. 9,66,666/- की दर से वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया

		गया है। जिसे प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 16 पृ.क्र. 58 से 98 में संलग्न किया गया है।
4	डी.जी.पी.एस. सर्वे का मानचित्र	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाता 1:50000 स्केल का टोपोग्राफिक मानचित्र प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 14 पृ.क्र. 56 में संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों की पूर्ति कर प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

धमतरी, दिनांक: 21/07/2023

पृ.क्रमांक/ मा.चि./व.सं.अ./31/जी/ ५१५५

प्रतिलिपि:- 01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर अटलनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

02. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी